

प्रति

माननीय

मुख्य मंत्री महोदय

सं०५० शासन सचिवालय

सचिवालय [सं०५०]

विषय: माननीय श्री गौतम टेटवाल राज्यमंत्री, स्वतंत्र प्रभार, कौशल एवं विकास मप्र. शासन की जान से मारने की धमकी षड़यंत्र में फंसाने की धमकी एवं जीवन तथा भविष्य बर्बाद करने की धमकी की स्पेशल जाँच कमेटी (ए.टी. ~~ए.टी.~~), से निष्पक्ष जाँच कर, जाँच में दोषी पाए जाने पर कार्यवाही करने बावत्।

आदरणीय महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत अनुरोध है कि श्री गौतम टेटवाल स्वतंत्र प्रभारी राज्यमंत्री कौशल विकास, म.प्र. शासन जो कि सारंगपुर (राजगढ़) के विधायक भी हैं। दिनांक 05.03.2026 को शाम 5:00 बजे सारंगपुर थाना के सामने जग्गा होटल में अपने मित्रों के साथ चाय पीकर होटल से बाहर सड़क पर मोटरसाईकिल पर बैठकर निकल रहा था तभी श्री गौतम टेटवाल जी ने मुझे रोका तथा मुझे जान से मारने, मरवाने भविष्य एवं जीवन बर्बाद करने, साजिश एवं षड़यंत्र में फंसाने की धमकी दी है। चूंकि माननीय श्री गौतम टेटवाल जी की जाति सम्बन्धी प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय इंदौर के प्रकरण क्र.डब्ल्यू.पी.-21875/2024 प्रचलित है। उस प्रकरण को वापिस लेने की धमकी दी है, वापिस नहीं होने पर मुझे षड़यंत्र में फंसाकर जीवन बर्बाद करने तथा जान से मारने तथा मरवाने की स्पष्ट धमकी दी गई है, जिसकी शिकायत मेरे द्वारा माननीय पुलिस महानिदेशक, भोपाल, माननीय कलेक्टर महोदय राजगढ़, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय राजगढ़, संस्था प्राचार्य, शास. क.उ.मा.वि., सारंगपुर तथा जिला शिक्षा अधिकारी जिला राजगढ़ को प्रदान की गई थी, किन्तु शिकायत के पश्चात् भी आज पर्यन्त तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है तथा माननीय मंत्री महोदय द्वारा थाना प्रभारी सारंगपुर श्रीमती आकांक्षा हाड़ा एवं उपनिरीक्षक श्री आनन्द लाल भिलाला द्वारा मुझे किसी भी षड़यंत्र में फंसाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि आज पर्यन्त तक थाना सारंगपुर में मेरे विरुद्ध कोई भी प्रकारण दर्ज नहीं है। शिकायत के पश्चात् भी आज पर्यन्त तक उच्च स्तरीय जाँच कमेटी से जाँच नहीं करवाई गई है।

मैं, माननीय मंत्री जी की धमकी के कारण अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पा रहा हूँ और अवकाश पर रहने के लिए विवश होना पड़ रहा है। मुझे मानसिक रूप से काफी प्रताड़ित एवं भयग्रस्त किया गया है।

निरन्तर...2...

Subhas  
27/3/26

....2....

माननीय मंत्री जी द्वारा मुझे षड्यंत्र में फंसाने के लिए अयोग्य अधिकारियों से जिनको शाला निरीक्षण करने का अधिकार ही नहीं है, उनसे दिनांक 13.02.2026 को निरीक्षण करवाने एवं मेरे विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किए गए थे। मैं संस्था में उपस्थित था, इस कारण मेरे विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। मेरी बिना अनुमति के मेरा फोन को सर्विसलांस में रखकर मेरी निजता का उल्लंघन भी किया जा रहा है तथा स्थानीय प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के सहयोग से मुझे विभिन्न प्रकरणों में फंसाकर मेरे एवं मेरे परिवार का भविष्य एवं जीवन बर्बाद करने का कुत्सित प्रयास एवं षड्यंत्र किया जा रहा है।

महोदय, इसके पूर्व भी मुझे धमकी दी गई थी तथा मेरे द्वारा शिकायत करने पर अपराध अनुसंधान विभाग पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा पत्र क्र. -अअवि/अनु/भेरे/डीजीपी-68/23/03/2023 दिनांक 02.01.2024 को पत्र जारी किया गया था, जिसके संदर्भ में अनुविभागीय पुलिस सारंगपुर को दिनांक 05.02.2024 को माननीय मंत्री द्वारा बलात्कार या किसी अन्य प्रकरण में नहीं फंसाने का स्पष्ट आश्वासन देने पर मेरे द्वारा बयान देकर प्रकरण में कोई भी कार्यवाही नहीं करने का उल्लेख किया गया था। माननीय मंत्री महोदय द्वारा दी गई धमकी एवं मेरे आवेदन-पत्र के पश्चात् भी आज पर्यन्त तक घटना स्थल से सी.सी.टी.वी. फुटेज एवं सी.सी.टी.वी. फुटेज के आधार पर वहाँ उपस्थित लोगों के बयान एवं साक्ष्य एकत्रित नहीं किए गए हैं एवं प्रकरण की निष्पक्ष जाँच नहीं की जा रही है। वहीं दूसरी ओर थाना प्रभारी महोदय, थाना सारंगपुर द्वारा मुझे बयान एवं शिकायत के सपोर्ट में साक्ष्य प्रदान करने हेतु दिनांक 29.03.2026 को थाना सारंगपुर, जिला-राजगढ़ बुलाया गया है। थाना प्रभारी महोदय सारंगपुर जाँच हेतु सक्षम अधिकारी नहीं होने के कारण, इनके द्वारा निष्पक्ष जाँच नहीं की जा सकती है। निष्पक्ष जाँच के लिए निष्पक्ष जाँच हेतु सक्षम अधिकारियों की जाँच टीम बनाकर निष्पक्ष जाँच करवाने का विनम्र आग्रह है।

अतः महोदय से अनुरोध है कि माननीय श्री गौतम टेटवाल राज्यमंत्री, स्वतंत्र प्रभार, कौशल एवं विकास मप्र. शासन की जान से मारने की धमकी षड्यंत्र में फंसाने की धमकी एवं जीवन तथा भविष्य बर्बाद करने की धमकी की स्पेशल जाँच कमेटी (ए.टी.एक्स.) से निष्पक्ष जाँच कर, जाँच में दोषी पाए जाने पर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

सादर सहित

स्थान : सारंगपुर

दिनांक : 27.03.2026

संलग्न पत्र [5]

भवदीय

(सुभाष शर्मा) 27/3/26

अध्यापक

शास. कन्या उ.मा.वि., सारंगपुर  
जिला-राजगढ़ (म.प्र.) मो.नं.-9406531058



कार्यालय पुलिस थाना सांरंगपुर जिला राजगढ म.प्र.

क्रमांक/थाना-सांरंगपुर/ 8/2026


दिनांक- 26.03.2026

**सूचना पत्र**

प्रति,

सुभाष शर्मा, अध्यापक  
शास. कन्या उ. मा. वि., सांरंगपुर  
जिला राजगढ म. प्र. मो. - 9406531057

जरिये नोटिस आपको सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा दिये गये शिकायत आवेदन पत्र मे आपके कथन लेख किये जाने हैं साथ ही यदि आपके पक्ष में कोई अन्य साक्षी या कोई साक्ष्य जो आपकी शिकायत के सपोर्ट में हो पेश करने हेतु आप दिनांक **29.03.26** को थाना सांरंगपुर में उपस्थित होंगे।

  
थाना प्रभारी  
पुलिस थाना सांरंगपुर  
जिला राजगढ (म.प्र.)